

# हिन्द इनर्जी एण्ड कोल बैनिफिकेशन (इ.) लिमिटेड

ग्राम : हिंडाडीह,  
तहसील : मस्तूरी,  
जिला : बिलासपुर (छ.ग.)

की

i ; kbj .kh; | e?kkr fu/kkĳ .k fj i ksvZ  
dk dk; ĩ kyd | kjk

-:: प्रेषित ::-

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल

पर्यावास भवन, सैक्टर 19, नया रायपुर (छ.ग.)

## १. प्रस्तावना:

वर्तमान में हिंद इनर्जी एण्ड कोल बेनिफिकेशन (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा ग्राम: हिंडाडीह, तहसील: मस्तूरी, जिला: बिलासपुर (छ.ग.) में कोल वॉशरी की स्थापना की गई है तथा संचालन किया जा रहा है तथा विद्यमान 2.4 मि.टन/वर्ष क्षमता की शुष्क प्रकार (ड्राय टाइप) की कोल वॉशरी की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी को बदल कर 2.4 मि.टन/वर्ष क्षमता की सिक्त प्रकार (वैट टाइप) की कोल वॉशरी किया जाना प्रस्तावित है।

dky okWkj dh {kerk	çklr i ; kbj . kh; Lohdfr	l pkyu l Eerh dk fooj . k	Á©  "fxdh ea cnyko
2.4 मि.टन/वर्ष क्षमता की शुष्क प्रकार (ड्राय टाइप)	पर्यावरणीय स्वीकृति 24 जून 2008 को प्रदान की गई है।	दोनों शुष्क प्रकार (2.4 मि. टन/वर्ष) तथा सिक्त प्रकार (1.2 मि. टन/ वर्ष) हेतु संचालन सम्मती प्रदान की गई है।	क्षमता 2.4 मि.टन/वर्ष की शुष्क प्रकार से 2.4 मि.टन/वर्ष सिक्त प्रकार
1.2 मि.टन/वर्ष क्षमता की सिक्त प्रकार (वैट टाइप)	पर्यावरणीय स्वीकृति 21 मई 2014 को प्रदान की गई है।		कोई बदलाव नहीं है।

**कुल अनुमति प्राप्त कोल वॉशरी की क्षमता : 3.6 मि.टन/वर्ष**

प्रस्तावित प्रक्रिया प्रौद्योगिकी में बदलाव विद्यमान परिसर 27.42 एकड़ में ही किया जावेगा तथा प्रस्तावित परियोजना (प्रौद्योगिकी में बदलाव) की अनुमानित लागत रू 12.00 करोड़ है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 14 सितंबर 2006 तथा इसके आगामी संशोधनों के अनुसार, 1 मि. टन/वर्ष से अधिक क्षमता वाली कोल वॉशरियों को "A" श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया

है। केंद्रीय विशेषज्ञ समिति द्वारा पत्र क्र.: J-11015/364/ 2009/ - IA - II (M) दिनांक: 11.02.2016 द्वारा टर्मस् ऑफ रिफरेंसेस् (टी.ओ.आर.) अनुमोदित किया है। माननीय विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदिन टी.ओ.आर. को समावेष्टित कर इस ई.आई.ए. रिपोर्ट को बनाया गया है।

प्रस्तावित संयंत्र के लिए कोलवाँशरी द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु नाबेट, क्वालिटी काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा अधिकृत मे. पायोनियर इन्वायरो लैबोरेटरिस् एवं कन्सल्टेंट्स प्रा. लि., हैदराबाद, द्वारा छ.ग. प्रदेश स्तरीय विशेषज्ञ समिति, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित 'टर्मस् ऑफ रिफरेंसेस्' (टी.ओ.आर.) को समाविष्ट करते हुए प्रारूप पर्यावरणीय समाघात निर्धारण रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं:

- प्रस्तावित संयंत्र स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या क्षेत्र के पर्यावरणीय कारक जैसे जल, वायु, भूमि, ध्वनि, वनस्पति, जीव, एवं सामाजिक स्तर आदि विशिष्ट गुणों का वर्तमान परिदृश्य।
- प्रस्तावित परियोजना से होने वाले वायु उत्सर्जन, दूषित जल उत्सर्जन, ठोस अवशिष्ट एवं ध्वनि प्रदूषण के स्तर का आकलन।
- प्रस्तावित परियोजना से होने वाले उत्सर्जन की रोकथाम हेतु किये जाने वाले उपायों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा हरित पट्टिका विकास को समसहित करते हुये पर्यावरण प्रबंधन के उपाय (ई.एम.पी.)।
- परियोजना उपरांत पर्यावरणीय अनुविक्षण कार्यक्रम।

## 1.1 कच्चे माल की मात्रा : –

प्रस्तावित परियोजना के लिये लगने वाले कच्चे माल की मात्रा निम्नलिखित है :

क्र.	कच्चा माल	वार्षिक आवश्यकता	प्रदाय स्रोत
1.	कच्चा कोयला (आर.ओ.एम. कोल)	3.60 मिलियन टन प्रति वर्ष	दिपका, गेवरा, कुसमुण्डा एवं अन्य एस.ई.सी.एल., की खदान से डी.ओ. के आधार पर कोयला लिया जावेगा।

## 1.2 उत्पादन पद्धति : –

इस इकाई में खदान से प्राप्त कोयले (आर.ओ.एम.) को तोड़कर, छानकर तथा धोकर 34% से कम राखड़ वाला कोयला प्राप्त किया जावेगा। प्रस्तावित परियोजना में एक गीले प्रकार (वैट टाइप) की कोल वॉशरी का लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसके कारण शुष्क प्रकार की वाशरी कि अपेक्षा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या कम रहेगी। परियोजना में क्लोज्ड लूप सरकुलेशन सिस्टम लगाया जाएगा जिसके कारण दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा तथा शून्य निस्तारण संकल्प का परिपालन सुनिश्चित होगा।

प्रस्तावित परियोजना में आर.ओ.एम. कोल को एक दंतीय रोल क्रशर से तोड़कर पानी एवं हवा की मदद से जिग में साफ किया जाएगा। जिसके कारण धुला हुआ कोयला, मिडलिंग्स तथा रिजैक्ट्स प्राप्त होंगे।

## 1.3 जल की आवश्यकता : –

- वर्तमान पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त शुष्क प्रकार की कोल वॉशरी क्षमता 2.4 मि.टन/वर्ष तथा सिक्त प्रकार की कोल वॉशरी क्षमता 1.2 मि.टन/वर्ष के संचालन हेतु जल खपत 585 घनमीटर प्रतिदिन है।
- प्रस्तावित 2.4 मि.टन/वर्ष (शुष्क प्रकार) की प्रक्रिया प्रौद्योगिकी में बदलाव कर प्रक्रिया प्रौद्योगिकी को बदल कर 2.4 मि.टन/वर्ष क्षमता की

सिक्त प्रकार (वैट टाइप) करने पर अनुमानित जल की खपत 475 घनमीटर प्रतिदिन होगी।

- अतः प्रस्तावित प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के बदलाव के बाद जल की कुल खपत 1085 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जिसमें कोल वॉशरी में उपयोग होने वाले औद्योगिक मेकअप एवं घरेलू जल की आपूर्ति सम्मिलित है।
- 585 घनमीटर प्रतिदिन के जल आहरण हेतु भू-जल स्रोतों का उपयोग किया जाता है। जिसके लिये केन्द्रीय भू-जल प्राधीकरण द्वारा अनुमति ली गई है।
- अतिरिक्त जल की आपूर्ति लीलागर नदी के भंवराडिह एनिकट से की जावेगी।
- वर्षा जल संरक्षण भी किया जावेगा, जिसे प्रक्रिया में उपयोग किया जावेगा। जिसके कारण प्राकृतिक स्रोत पर जल कि निर्भता कम होगी।

श्रेणीवार जल खपत का विवरण निम्न प्रकार है:-

## जल की आवश्यकता

क्र.	विवरण	जल की आवश्यकता (प्रतिदिन)	खपत/ प्रणाली में हानी	दूषित जल उत्सर्जन	उपयोग का प्रकार/ अपवहन
<b>1.</b>	<b>प्रक्रिया में</b>				
	मेकअप	16400	....	....	क्लोज्ड चैनल सर्किट द्वारा पुर्नचक्रण
	पुर्नचक्रण	785	....	...	
	<b>योग - 1</b>	<b>17185</b>	<b>785</b>	<b>16400</b>	
<b>2.</b>	<b>सिंचाई तथा डस्ट सपरेशन में</b>				
	सड़कों पर जल छिडकाव	110	110	....	.....
	डस्ट सपरेशन	90	90	...	
	सिंचाई	70	70	....	
	<b>योग - 2</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>....</b>	
<b>3.</b>	<b>घरेलू उपयोग</b>				
	पेय जल	3	3	...	सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट्स द्वारा उपचारित
	अन्य घरेलू उपयोग (धुलाई, फ्लशिंग आदि)	27	27	...	
	<b>योग - 3</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>...</b>	
	<b>कुल योग (1.+2.+3.)</b>	<b>17485</b>	<b>1085</b>	<b>16400</b>	

## 1.4 दूषित जल उत्सर्जन :

- विद्यमान शुष्क प्रकार की 2.4 मि.टन/वर्ष क्षमता की कोल वॉशरी से औद्योगिक दूषित जल उत्सर्जन होता है। घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु सैप्टिक टैंक तथा सोक पिट्स बनाये गये हैं।
- विद्यमान सिक्त प्रकार की 1.2 मि.टन/वर्ष क्षमता की कोल वॉशरी में क्लोज्ड चैनल सफ़्ट का लगाया है जिसके कारण औद्योगिक दूषित जल उत्सर्जन नहीं होता है। घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु सैप्टिक टैंक तथा सोक पिट्स बनाये गये हैं।
- परिसर में शून्य निस्तारण की स्थिती बनाई रखी जा रही है।
- घरेलु दूषित जल के उपचार हेतु सैप्टिक टैंक तथा सोक पिट्स बनाये गये हैं जोकी भविष्य में भी कार्यरत रहेंगे।

## 1.5 निस्त्राव जल की गुणवत्ता:

अनुमानित अनुपचारित निस्त्राव का गुणात्मक विश्लेषण का सारांश निम्नलिखित टेबल में प्रदर्शित है:

गुण	सांद्रता
पी.एच.	7.0 – 8.5
बी.ओ.डी.	200 – 250 मि.ग्रा./ली.
सी.ओ.डी.	300 – 400 मि.ग्रा./ली.
टी. डी.एस.	800 – 900 मि.ग्रा./ली.

## 2.0 पर्यावरण का विवरण:

प्रस्तावित स्थल के 10 कि.मी. त्रिज्या में सभी पर्यावरण कारकों जैसे परवेशीय वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, ध्वनी स्तर, पेड़-पौधे, जीव-जन्तु एवं समाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर बेस लाइन डाटा बनाया गया।

## 2.1 परवेशीय वायु गुणवत्ता

केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के आधार पर एक मौसमीय (3 महीने तक) 8 स्टेशनों पर पी.एम.<sub>2.5</sub>, पी.एम.<sub>10</sub>, एस.ओ.<sub>2</sub> एवं एन.ओ.<sub>x</sub> हेतु परवेशीय वायु गुणवत्ता का मापन किया गया। परवेशीय वायु गुणवत्ता मापन के दौरान इन कारकों का मान इस प्रकार है:

क्रमांक	विवरण	सांद्रता
1.	पी.एम. <sub>2.5</sub>	18.1 से 38.7 माइक्रोग्राम/घन मीटर
2.	पी.एम. <sub>10</sub> *	31.2 से 64.5 माइक्रोग्राम/घन मीटर
3.	एस.ओ. <sub>2</sub>	10.5 से 19.8 माइक्रोग्राम/घन मीटर
4.	एन.ओ.	10.8 से 21.5 माइक्रोग्राम/घन मीटर
5.	सी.ओ.	385 से 675 माइक्रोग्राम/घन मीटर

\* \* : पी.एम.<sub>10</sub> में पॉलि एरोमैटिक हायड्रोकार्बन कि मात्रा बी.डी.एल. है

बी.डी.एल. : Below detection limit

## 2.2 जल गुणवत्ता

8 अलग अलग जगहों पर भूजल एवं अन्य सतही जल स्रोतों के नमूने लिए गए जिसके सारे भौतिक एवं रासायनिक गुणों का विश्लेषण किया गया। इस विश्लेषण के आधार पर पाया गया कि सभी जगहों पर जल पीने योग्य है; अर्थात् सभी नमूने आई.एस.: 10500 तथा आई.एस.: 2296 के मानदण्डों के अनुरूप पाए गये हैं।

## 2.3 ध्वनि स्तर

8 अलग अलग जगहों पर रात एवं दिन में ध्वनि स्तर का मापन किया गया। जिसका ध्वनि स्तर 45.3 डी.बी.(ए.) से 63.8 डी.बी.(ए.) पाया गया है।

### 3.0 पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्वांकलन तथा शेकथाम:

#### 3.1 वायु गुणवत्ता पर प्रभावों का पूर्वांकलन:

प्रस्तावित परियोजना से उत्सर्जित गैसेस् में मुख्यतः पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.10), सल्फर डाय ऑक्साइड एवं ऑक्साईड्स् ऑफ नाइट्रोजन पाये जाते हैं। इण्डस्ट्रियल सोर्स कॉम्प्लैक्स मॉडल (आई.एस.सी.एस.टी.-3) का उपयोग भूस्तर सांद्रता ज्ञात करने में किया गया। माइक्रोमैटिरोलॉजिकल डाटा जैसे तापमान, हवा के वहने की गति एवं दिशा एवं अन्य मैट्रियोलौजिकल पैरामिटर्स भी इकट्ठा किए गए जिनका उपयोग मॉडल से परिणाम ज्ञात करने में किया गया। भूस्तर सांद्रता ज्ञात करने में अन्य औद्योगिक इकाईयों के उत्सर्जन को भी समावेश किया गया है।

#### वर्तमान परिदृश्य:-

जैसा कि अग्र वर्णित है कि हमारे द्वारा केवल प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के बदलाव किया जा रहा है यानी शुष्क प्रकार की वॉशरी को सिक्त प्रकार कि वॉशरी में परिवर्तित किया जा रहा है। जिसके कारण वायु उत्सर्जन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी मार्च 2016 से मई 2016 तक एकत्रित परवेशीय वायु गुणवत्ता भूस्तर डाटा का उपयोग करके वायु गुणवत्ता मॉडलिंग की गई है।

संगणित परिणामो से ज्ञात होता है कि प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत भूस्तर पर पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.10) की सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 0.62

माइक्रोग्राम/घन मीटर हवा बहने कि दिशा में प्रस्तावित स्थल से 480 मीटर पर पाई जावेगी।

वाहनों से होने वाले उत्सर्जन के लिए पी.एम.10 की सांद्रता में अधिकतम 2.7 माइक्रोग्राम/घन मीटर वृद्धि होने की संभावना है।

अतः कोल वाशरी द्वारा एवं वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन के कारण वतावरण में पी.एम.10 की सांद्रता में 0.62 माइक्रोग्राम/घन मीटर + 2.7 माइक्रोग्राम/घन मीटर = 3.32 माइक्रोग्राम/घन अधिकतम वृद्धि की संभावना है।

एन.ओ. x में वाहनों द्वारा हुए उत्सर्जन की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 19.8 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

वाहनों द्वारा उत्सर्जित सी.ओ. की कुल सांद्रता में अधिकतम वृद्धि 12.6 माइक्रोग्राम/घन मीटर होगी।

**परियोजना के कारण सांद्रता में अधिकतम वृद्धि**

विवरण	पी.एम.10 (~g/m <sup>3</sup> )	एस.ओ <sub>2</sub> (~g/m <sup>3</sup> )	एन.ओ. x (~g/m <sup>3</sup> )	सी.ओ. (~g/m <sup>3</sup> )
अध्ययन क्षेत्र अधिकतम वास्तविक सांद्रता	64.5	19.8	21.5	675
परियोजना के संचालनोपरांत सांद्रता में अधिकतम वृद्धि	3.32 (0.62+2.7)	—	19.8	126
संयंत्र के संचालनोपरांत सांद्रता में शुद्ध वृद्धि	<b>67.82</b>	<b>19.8</b>	<b>41.3</b>	<b>687.6</b>
राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>2000</b>

जैसा कि संगणित परिणाम तथा प्रस्तावित परियोजना के संचालनोपरांत उत्सर्जित पार्टिकुलेट मैटर (पी.एम.10), सल्फर डाय ऑक्साइड, ऑक्साईड्स ऑफ नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोक्साइड की अधिकतम सांद्रता राष्ट्रीय परवेशीय वायु

गुणवत्ता मानकों से कम है अतः प्रस्तावित परियोजना से वायु गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### 3.2 ध्वनि स्तर पर प्रभाव:-

परिसर में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत डी.जी. सैट एवं कोल क्रशर इत्यादि हैं। परवेशीय ध्वनि स्तर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कि अधिसूचना दि: 14.02.2000, ध्वनी प्रदूषण (विनिमय एवं नियंत्रण) नियम 2000 के मानदण्डों के अनुरूप है यानी दिन में 75 डी.बी. (ए.) एवं रात में 70 डी.बी. (ए.) से कम है। परिसर में लगभग 9.1 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया गया है। अतः प्रस्तावित प्रक्रिया में बदलाव के कारण आसपास के क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव नहीं होंगे।

### 3.3 जल पर्यावरण पर प्रभाव:-

प्रस्तावित परियोजना में क्लोज्ड सर्किट सिसटम का परिपालन किया जावेगा जिससे कोल वॉशरी द्वारा औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। घरेलू निस्त्राव के उपचार हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट का बनाए गये हैं। जल आपूर्ति के लिये भूजल स्रोत तथा लीलागर नदी के भंवराडिह एनिकट से की जावेगी। अतः इससे परियोजना क्षेत्र के जल पर्यावरण पर कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा।

### 3.4 भू-पर्यावरण पर प्रभाव:-

विद्यमान परिसर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यकतानुरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि की सही-सही स्थापन एवं संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप

किया जावेगा। ठोस अपशिष्टों का निपटान/ उपयोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुसार किया जा रहा है। परिसर में लगभग 9.1 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया गया है। अतः प्रस्तावित परियोजना से भू-पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

### 3.5 सामाजिक- आर्थिक प्रभाव:-

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण एवं संचालन से स्थानीय लागो को रोजगार अनेक अवसर बनेंगे। जिसके कारण सामाजिक-आर्थिक स्थित पर अच्छे प्रभाव पड़ेंगे। साथ ही गाँवों में नियमित स्वास्थ्य जाँच प्रस्तावित है। अतः प्रस्तावित संयंत्र के लगने से भविष्य में क्षेत्र का विकास होगा।

### 4.0 पर्यावरण अनुवीक्षण कार्यक्रम:

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.एण्डसी.सी.) एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के निर्देशानुसार अनुवीक्षण कार्यक्रम का अनुपालन किया जा रहा है, जो कि निम्न प्रकार है:

क्रमांक	विवरण	अनुवीक्षण आवृत्ति	नमूने लेने कि अवधि	पैरामीटर
<b>1 जल तथा निस्त्रव कि गुणवत्ता</b>				
	जल गुणवत्ता	मासिक	ग्रैब नमूने (24 घण्टे)	आई एस : 15000
<b>2 वायु गुणवत्ता</b>				
a.	स्टैक	ऑन-लाइन मासिक		एस. पी.एम. एस.ओ <sub>2</sub> , एन. ओ. <sub>x</sub>
b.	परवेशीय वायु गुणवत्ता	सप्ताह में दो बार	24 घण्टे लगातार	पी.एम. <sub>10</sub> , पी.एम. <sub>2.5</sub> , एस.ओ <sub>2</sub> , एन. ओ. <sub>x</sub>
c.	फ्युजिटिव उत्सर्जन	मासिक	8 घण्टे में एकबार	पी.एम.
<b>3 मौसमिय कारक</b>				
d.	मौसमिय डाटा	दैनिक	लगातार	तापमान, आद्रता, वर्षा, वायु कि गति एवं दिशा
<b>4 शोर मापन</b>				

e.	परवेशीय ध्वनी स्तर	वर्ष में दो बार	1 घण्टे के अंतराल में 24 घण्टे लगातार	
----	--------------------	-----------------	------------------------------------------	--

## ५.0 अन्य अध्ययन:

परियोजना द्वारा किसी भी प्रकार का पुर्नवास अथवा पुर्नस्थापन नहीं होगा, अतः पुर्नवास एवं पुर्नस्थापना अध्ययन नहीं किया गया है।

## ६.0 परियोजना के लाभ:

प्रस्तावित परियोजना के कारण नए रोजगार के अवसर बनेंगे, साथ ही स्थानीय परिसम्पत्तियों का मूल्य बढ़ेगा जिसके कारण आसपास के निवासियों को लाभ होगा। प्रस्तावित संयंत्र में कर्मचारियों के नियोजन हेतु स्थानीय लोगो को प्राथमिकता दी जावेगी।

## ७.0 पर्यावरण प्रबंधन के उपाय:

### 7.1 वायु पर्यावरण:

वायु प्रदूषण कि रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये गये है।

क्रमांक	इकाई	वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर	पी.एम. उत्सर्जन
1.	कोल क्रशर	बैग फिल्टर युक्त डस्ट एक्सट्रैशन सिसटम	50 मिलिग्राम/ घन मी

डस्ट उत्सर्जन के मुख्य स्रोत कोयले की अनलोडिंग, क्रशिंग एवं स्थानांतरण बिंदू होंगे। फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के मुख्य स्रोत कोयले की अनलोडिंग, स्थानांतरण बिंदू एवं स्क्रीनिंग क्षेत्र इत्यादि होंगे। कोयले की अनलोडिंग के कारण फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम हेतु डस्ट सप्रेसन सिसटम लगाया गया है। कोयले की अनलोडिंग, स्थानांतरण बिंदुओं को पूर्णतः ढंक कर तथा इन सभी निर्वहन बिंदुओं को बैग फिल्टर युक्त डी-डस्टिंग प्रणाली से जोड़ा गया है।

प्रस्तावित संयंत्र क्षेत्र में होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का मापन कार्य किया जा रहा है तथा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन की रोकथाम एवं मापन हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा निर्देशों का पालन किया रहा है।

### 7.2 जल पर्यावरण:

प्रस्तावित कोल वॉशरी में क्लोज्ड सर्किट सिसटम का परिपालन किया जावेगा जिससे औद्योगिक दूषित जल उत्सर्जन नहीं होगा। प्रस्तावित कोल वॉशरी से 20.0 घन मीटर प्रति दिन घरेलू दूषित जल का उत्सर्जन होगा। जिसके उपचार हेतु हेतु सैप्टिक टैंक एवं सोक पिट्स बनाए जावेंगे। प्रस्तावित कोल वॉशरी में शून्य बहिस्त्राव कि संकल्पना का परिपालन किया जावेगा।

### 7.3 ध्वनि पर्यावरण :

प्रस्तावित परियोजना में ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत डी.जी. सैट एवं कोल क्रशर इत्यादि होंगे। सभी उपकरणों का निर्माण केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के ध्वनि उत्सर्जन हेतु मानदण्डों के अनुरूप किया जावेगा। तदंतर सघन वृक्षारोपण ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव को कम करने में प्रभावकारी होगा। प्रशासनिक भवन के आसपास ध्वनि अवरोधो के रूप में वृक्षारोपण कि अनुशंसा की जाती है।

### 7.4 भू पर्यावरण :

प्रस्तावित कोल वॉशरी में क्लोज्ड सर्किट सिसटम का परिपालन किया जावेगा जिससे औद्योगिक निस्त्राव उत्सर्जन नहीं होगा। वायु प्रदूषण की रोकथाम के

लिए आवश्यकतानुरूप सभी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर इत्यादि का सही-सही स्थापना एवं संचालन छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के मापदण्डानुरूप किया जा रहा है। वॉशरी मिडलिंग एवं रिजैक्ट्स को विद्युत उत्पादन इकाईयों को दिया जाना प्रस्तावित है। इकाई में सघन वृक्षारोपण किया गया है। समुचित सौंदर्यकरण एवं लैंडस्केपिंग पद्धति को अपनाया गया है। अतः प्रस्तावित प्रक्रिया में बदलाव के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**ठोस अपशिष्टों का उत्पादन एवं अपवहन व्यवस्था :**

क्र.	ठोस अपशिष्टों का प्रकार	मात्रा	अपवहन व्यवस्था
1.	वॉशरी मिडलिंग एवं रिजैक्ट्स	0.72 मि.टन/वर्ष	मे. प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को दिया जावेगा।

**7.5 ग्रीन बेल्ट :**

परिसर में लगभग 9.1 एकड़ भूमि पर सघन वृक्षारोपण किया गया है।

पर्यावरण संरक्षण हेतु अनुमानित पूंजी लागत रु 0.50 करोड़ है

**7.6 क्रैप सिफारिशो का क्रियानवयन :**

प्रस्तावित कोल वॉशरी में क्रैप सिफारिशों का सख्ती से अनुपालन किया जा रहा है तथा भविष्य में भी किया जावेगा।

\*\*\*\*\*